

आचार्य महोदय/महोदय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विद्यापीठ, दिल्ली।
 आपका दिनांक 14-08-2020 का मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ।
 आपने मुझे बताया कि आपने 14-08-2020 को मुझे एक पत्र भेजा था।
 मैं आपका पत्र पढ़ा और मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना।
 मैं आपका पत्र पढ़ा और मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना।
 मैं आपका पत्र पढ़ा और मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना।
 मैं आपका पत्र पढ़ा और मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना।

आचार्य महोदय

| क्र.सं. | नाम | पता | दस्तावेज संख्या/दिनांक | दिनांक |
|---------|-----|-----|------------------------|--------|
| 01 | ... | ... | ... | ... |
| 02 | ... | ... | ... | ... |
| 03 | ... | ... | ... | ... |
| 04 | ... | ... | ... | ... |
| 05 | ... | ... | ... | ... |
| 06 | ... | ... | ... | ... |
| 07 | ... | ... | ... | ... |
| 08 | ... | ... | ... | ... |
| 09 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |

आचार्य महोदय/महोदय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विद्यापीठ, दिल्ली।
 आपका दिनांक 14-08-2020 का मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ।
 आपने मुझे बताया कि आपने 14-08-2020 को मुझे एक पत्र भेजा था।
 मैं आपका पत्र पढ़ा और मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना।
 मैं आपका पत्र पढ़ा और मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना।
 मैं आपका पत्र पढ़ा और मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना।
 मैं आपका पत्र पढ़ा और मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना।
 मैं आपका पत्र पढ़ा और मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना।
 मैं आपका पत्र पढ़ा और मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना।
 मैं आपका पत्र पढ़ा और मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना।

आचार्य महोदय

दिनांक: 14-08-2020

आचार्य महोदय/महोदय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विद्यापीठ, दिल्ली

आचार्य महोदय/महोदय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विद्यापीठ, दिल्ली

SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
SHRI JAGADIS

PRINCIPAL
[Signature]

(को. संकेत सं.)
[Signature]

दिनांक- 14-09-2020
व्यक्तिगत/सिखा, जिला जयपुर (को. संकेत सं.) संख्या, 14-09-2020

(को. संकेत सं.)
[Signature]

को. संकेत सं./दिनांक/संख्या/संख्या
14-09-2020/2020/14-09-2020

- 1. *[Mirrored text from reverse side]*
- 2. *[Mirrored text from reverse side]*
- 3. *[Mirrored text from reverse side]*
- 4. *[Mirrored text from reverse side]*
- 5. *[Mirrored text from reverse side]*
- 6. *[Mirrored text from reverse side]*
- 7. *[Mirrored text from reverse side]*
- 8. *[Mirrored text from reverse side]*
- 9. *[Mirrored text from reverse side]*
- 10. *[Mirrored text from reverse side]*
- 11. *[Mirrored text from reverse side]*
- 12. *[Mirrored text from reverse side]*
- 13. *[Mirrored text from reverse side]*
- 14. *[Mirrored text from reverse side]*
- 15. *[Mirrored text from reverse side]*
- 16. *[Mirrored text from reverse side]*
- 17. *[Mirrored text from reverse side]*
- 18. *[Mirrored text from reverse side]*
- 19. *[Mirrored text from reverse side]*
- 20. *[Mirrored text from reverse side]*

कायालय,

सहकार, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

अहमदनगर प्रदेश महाराष्ट्र।

संख्या:- प्राविधिक परिषद अहमदनगर/2021/3537

संलग्नक: दिनांक: 08/08/2021

:- कार्यालय मार्फत:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पुनर्गठनीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक संस्था 2021-22 हेतु दिल्ली/पुनर्गठनीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अर्जसहित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, अहमदनगर से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश समिति वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्न तथे निर्णय के अन्तर्गत निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, अहमदनगर से सम्बद्धता हेतु 2021-22 हेतु लिखनांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश समिति हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-


संस्था का कोड एवं नाम : 2245-SITAPUR SHIKSHA SANS THAN (SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY), RASORA, SITAPUR

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | 2021-22 हेतु अर्जसहित प्रवेश समिति | हेतु अर्जसहित प्रवेश समिति |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | CIVIL ENGINEERING | 60 | 60 |
| 2 | ELECTRICAL ENGINEERING | 60 | 60 |
| 3 | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 60 | 60 |
| 4 | ELECTRONICS ENGINEERING | 30 | 30 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था 003A1020102010/प्री02सी03A10 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एचए 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद दिल्ली/पुनर्गठनीय 1992 सेक्टर शिक्षणसमवली-2016 तथा अन्य लिखित नियमों एवं आदेशों का अर्जपालन करेगी तथा शैक्षिक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शैक्षिक नीति व शैक्षिक डीपी पाठ्यक्रमों हेतु 30/30150/00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय प्रारंभिक पाठ्यक्रम हेतु 30-

PRINCIPAL
SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
SITAPUR


- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक पाठ्यक्रम के आतिरिक्त) हेतु को-कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कोस निधारण समिति द्वारा यह सत्र 2021-22 हेतु कोस का पुनर्निधारण शुरू के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार 22500.00/- प्रतिवर्ष शुरू की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के आतिरिक्त छात्र/छात्राओं से 22500.00/- प्रतिवर्ष शुरू की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के आतिरिक्त छात्र/छात्राओं से किया जाता है, जो कोस की नवीनतम दर लागू होगी।
- संस्था को (3090 प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा 38 समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमनवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीट के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुरू करना करना होगा।
- संस्था को 00आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी गैर/निधार्ता/अनुमोदन/निधार्ता/शासनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा जारी गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।
- डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और वित्तिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाध दायर किया जाना है तथा दायर गार के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश गवर्नर द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों/नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे वृत्तिका की ऐतिहासिक पृष्ठ आदि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, भवन किया जाने वाला शुरूक, छात्रावास शुरूक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को शिक्षण-प्राशिक्षण हेतु उपर्युक्त पाठ्यपत्र उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक सेक्टर के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संयोजित पाठ्यक्रम को धराये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, शैक्षणिक, शैक्षणिक, कर्मीय, भवन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संयोजन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य किसी अन्य कार्य हेतु अभिलेख, शैक्षणिक, शैक्षणिक, कर्मीय, भवन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संयोजित पाठ्यक्रम को धराये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में शैक्षिक, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा जायेगी।

PRINCIPAL
SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

[Handwritten Signature]

संविद

(सुनील कुमार शोभकर)

[Handwritten Signature]

प्रशासक/निदेशक, SITAPUR SHIKSHA SANSTHAN (SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY), RASYORA, SITAPUR

पता:-

पुस्तक-प्राप्ति/परिचय संख्या/2021/3528-4809

दिनांक: 09/08/2021

संविद

(सुनील कुमार शोभकर)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुस्तकें प्राप्त की गई हैं।
संरक्षित करने के लिए पुस्तकें संरक्षित करने के लिए उपयुक्त स्थान पर रखी जाएगी।
अनुशासक/निदेशक का दायरगी की जाती है।

- ✓ यदि संस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में अग्रगण्यता और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए संस्था को प्रोत्साहित किया जाना है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और शिक्षक एवं शिक्षिकाएं संस्था के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होंगी। प्राथमिक शिक्षण परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षण विभाग विद्यालय एवं प्राथमिक शिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम चलाया जाता है तथा साथ ही संस्था के संबंध में भी, न्यायपालना द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगा।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउंसिलिंग प्रवेश हेतु के पूर्व एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आयोजन पर (अनुसूचित जाति) प्रवेश हेतु प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आयोजन पर) अनुसूचित जाति को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु समस्त-संस्थान पर निर्गत नवीनतम आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाना होगा शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षण के समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में वर्तमान/संभावित पाठ्यक्रम को प्रदान करने हेतु विशेषण संचालित के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, शैक्षणिक, कक्षागत, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को समस्तता समाप्त किया जाने की आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत शिक्षण के दौरान यदि संस्था में कोई अन्य, प्रशासनात्मक, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एडमिनिस्ट्रेशन/एडमिनिस्ट्रेशन/परिषद के मासिक/सत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संस्था को समस्तता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ समस्तता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किया जाने की स्थिति में निम्नलिखित अनुशासनात्मक कार्रवाही की जायेगी।

पुस्तक- परिषद/परिषद संख्या/2022/7818-0465

प्रतिभा:-

पुस्तक/परिषद संख्या/2022/7818-0465 (SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY)

PRINCIPAL
Singh

SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

संस्थान

(पुस्तक संख्या)

Signature

दिनांक: 30/08/2022

संस्थान

(पुस्तक संख्या)

Signature

